

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-309/16 श्र0सं0- 19
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो. सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर /भोजपुर(आरा)/ सारण ।

पटना, दिनांक :- 6-6-16

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 जुलाई 2016 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	मुजफ्फरपुर	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/-	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का अभिलेख सं.-09(2015-16), के आलोक में (1) स्व० शाम कुमार, आश्रित मु० नीतू देवी (पत्नी), ग्राम-बगरी, पंचायत जटौलिया, थाना-बरूराज प्रखण्ड मोतिपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के भुगतान हेतु।
2	भोजपुर (आरा)	02	तदैव	200000/-	जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक-236 एवं 237, दिनांक-26.03.2016 के आलोक में (1) स्व० अर्जुन सिंह, आश्रित शिव शंकर सिंह, ग्राम-छोटका ईटहना, पोस्ट-गुडी, थाना-कृष्णगढ़, प्रखण्ड-बड़हरा, जिला-भोजपुर (2) स्व० जलेश्वर राम, आश्रित उमरावती देवी (पत्नी) ग्राम-उदयमानपुर, पो०-बसंतपुर, थाना-कृष्णगढ़, प्रखण्ड-बड़हरा, जिला-भोजपुर के भुगतान हेतु।
3	सारण	01	तदैव	100000/-	जिला पदाधिकारी, सारण का पत्रांक- 259/श्र०सं०- दिनांक-20.04.16 के आलोक में (1) स्व० मुन्ना राम, आश्रित चन्दा देवी, ग्राम-गडामन, पोस्ट-सेरूकहां प्रखण्ड-मशरक, जिला-सारण के भुगतान हेतु।
कुल योग		04		400000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-2793/वि० दिनांक-04.04.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित हैं ।

विश्वासभाजन,

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र०सं०-

19

पटना, दिनांक

6-6-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/एफ1-309/16 श्र०सं०-

19

पटना, दिनांक

6-6-16

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/

*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक,
/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-150 (श्रम पक्ष) दिनांक-25.5.16 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।